भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2739

उत्तर देने की तारीख 07 अगस्त, 2024

इंटरनेट शटडाउन

2739. श्री गोरव गोगोई:

श्री बैन्नी बेहनन:

श्री सुखदेव भगत:

श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विश्व में सरकार द्वारा कार्यान्वित इंटरनेट शटडाउन की सबसे अधिक घटनाएं भारत में हुई हैं;

(ख) वर्ष 2018 से 2024 के बीच दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के तहत जारी इंटरनेट शटडाउन आदेशों का जिला-वार तथा माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारत में इंटरनेट शटडाउन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को समझने के लिए कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या दूरसंचार विभाग दूरसंचार अधिनियम, 2024 के अंतर्गत इंटरनेट निलंबन के लिए नियम बनाने के संबंध में सिविल सोसायटी, कार्यकर्ताओं, विषय-विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के साथ कोई परामर्श कर रहा है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) किसी भी लोक आपात की स्थिति या लोक सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 में निहित प्रावधानों के तहत इंटरनेट सेवा के अस्थायी निलंबन के आदेश जारी करने का अधिकार है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निलंबन आदेशों को जनसाधारण के लिए जारी करना अनिवार्य किया है; और दूरसंचार सेवाओं के निलंबन हेतु जारी सभी आदेशों को आनुपातिकता के सिद्धांत का अनुपालन करना होगा; और यह निर्धारित अवधि की सीमा से अधिक नही होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेशों को दिनांक 10.11.2020 को राज्यों के सभी मुख्य सचिवों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को सूचित कर दिया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। तदनुसार, दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रिकृत रूप से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए इंटरनेट निलंबन आदेशों से संबंधित विवरण का अनुरक्षण नही किया जाता है। तथापि दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा प्रदान की गई अनुमतियां गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।
